

# दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर

प्रधान कार्यालय : पावर हाउस रोड, जयपुर

मूल्य 2/- रुपये

शाखा की मोहर .....

सी.टी.डी. की जमानत पर ऋण के लिए आवेदन पत्र

ऋणी सदस्य फोटो  
अपने अधिकारी  
(जिनके अधीन वह  
कार्यरत है)  
से सत्यापित करावे

हस्ताक्षर फोटो पर क्रॉस करते हुए

आवेदन पत्र इनवर्ड सं. ....	कस्टमर आई डी.....
दिनांक.....	सीटीडी खाता संख्या.....
ह. लिपिक.....	ऋण खाता संख्या.....
ह. शाखा प्रबन्धक .....	सदस्यता ग्रहण की तिथि.....

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक का पद.....
4. पी.एफ./एन.पी.एस. संख्या .....
5. मूल वेतन रुपये .....
6. लेवल.....
7. वेतनमान रु.....
8. स्टेशन .....
9. विभाग एवं पता.....
10. बैंक सदस्यता खाता संख्या.....
11. ऋण आवेदन की राशि (अंको में) .....(शब्दों में) रुपये .....
12. ऋण चुकाने की अवधि माह में (अंकों में).....(शब्दों में).....
13. ऋण आवश्यकता का कारण.....
14. घर का स्थाई पता.....

मैं (आवेदक) एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अन्य रेलवे से सम्बन्धित क्रेडिट सोसायटी का सदस्य नहीं हूँ और भविष्य में भी किसी क्रेडिट सोसायटी का सदस्य नहीं बनूंगा । बैंक का जो भी ऋण और ब्याज मेरी तरफ बकाया है या मेरा ऋण स्वीकृत करने में बैंक को शेरों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता हो, तो यह दोनों राशियां मेरा ऋण स्वीकृत करते समय उनमें से काट ली जावें । इन कटौतियों के लिए मैं, अपनी सहमति देता हूँ । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की असाध्य बिमारी से पीड़ित नहीं हूँ ।

मैं (आवेदक) अपने स्वीकृत ऋण का भुगतान मेरे बचत खाते के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ ।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर .....

बचत खाता सं. ....

उपरोक्त आवेदक मेरे अधीन कार्य कर रहा है । मैं इस आवेदक के हस्ताक्षर (दायें अथवा बायें हाथ के अंगूठे की निशानी/एवं फोटो) की सत्यता को प्रमाणित करता हूँ ।

सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम .....

सत्यापन करने वाले अधिकारी का पदनाम .....

विभाग की मोहर .....

फोन / मोबाईल नं. ....

## आवेदक का सेवा विवरण

क्र.सं.	मद	विवरण	क्र.सं.	मद	विवरण
1.	आवेदक का नाम		2.	पिता/पति का नाम	
3.	पदनाम		4.	विभाग व स्टेशन	
5.	मूल वेतन (अंको में)		6.	लेवल	
7.	महंगाई भत्ता		8.	प्रथम नियुक्ति तिथि	
9.	टी. एस. की तिथि		10.	नियमित होने की तिथि	
11.	कस्टमर आईडी		12.	सी. टी. डी. संख्या	
13.	पी.एफ./एन.पी.एस. संख्या		14.	जन्म तिथि	
15.	आवेदक के हस्ताक्षर		16.	फोन/मोबाईल नं.	

## वेतन विभाग से सत्यापन

17	क) वेतन विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर	
	ख) अधिकारी का नाम	
	ग) वेतन विभाग की मोहर	
	घ) दिनांक	

## ऋण अनुबन्ध पत्र

मैं (आवेदक का नाम) ..... पुत्र/पत्नि श्री ..... घर का पता  
 (1) स्थाई ..... (2) वर्तमान.....  
 ..... फोन/मोबाईल नं. ....

उक्त बैंक से (अंको में) रूपये ..... (शब्दों में) ..... का ऋण प्राप्त किया है ।  
 यह ऋण ..... प्रतिशत (कटवामिति पद्धति) अथवा जो दर बैंक समय-समय पर निर्धारित करें जो मासिक किश्तों में देय है ।  
 बैंक यह ऋण ब्याज सहित तथा मूलधन दोनों मिलाकर मेरे मासिक वेतन में से सीधे ही मेरे वेतन कटौती विभाग के माध्यम से प्राप्त करने को अधिकृत होगी । मेरे ऋण प्राप्ति के प्रतिफलस्वरूप बैंक को यह अधिकार अखण्ड (Irrevocable) होगा जिसके लिये मैं बैंक की सदस्यता से अथवा रेलवे सेवा से त्याग पत्र नहीं देने का भी वचनबद्ध हूँ, जब तक मेरे द्वारा बैंक से लिया गया ऋण ब्याज पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर दिया जाता है ।

- यदि मैं ऋण की किश्तों अथवा ब्याज का भुगतान समय पर करने में असमर्थ हूँ । तो तुरन्त ही समस्त ऋण, ब्याज सहित देय हो जावेगा ।
- मैं वचन देता हूँ कि ऋण जिस कार्य के लिये लिया गया है उसी कार्य हेतु प्रयुक्त किया जावेगा वचनभंग होने की दशा में बैंक को समस्त ऋण ब्याज सहित तुरन्त वसूल करने का अधिकार होगा यदि बैंक चाहे तो मैं ऋण राशि के उचित उपयोग का प्रमाण भी जिस रूप में मांगा जावे, प्रस्तुत करने को तत्पर रहूंगा ।
- मैं निर्धारित/वर्णित शर्तों/वचनों के पालन हेतु वचनबद्ध हूँ और किसी भी शर्त/वचनभंग होने की दशा में जिसके अन्तर्गत मुझे ऋण स्वीकृत किया गया है अथवा मेरे बैंक के सदस्य न रहने की दशा में जो मृत्युजन्य या अन्यथा हो सकती है, यदि ऋण ब्याज सहित पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर दिया गया तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक में मेरी सभी प्रकार की जमा राशियों (प्रतिभूतियों इत्यादी सहित जो उपरोक्त ऋण पूर्ण बकाया ब्याज हेतु प्रस्तुत की गई हैं) की ऋण पूर्ति हेतु (ब्याज सहित) उपयोग में ले सकेंगी तथा अन्य और कोई रकम जो बैंक उचित समझे, ऋण वसूली एवं बकाया ब्याज हेतु उपयोग कर सकने को समक्ष होगी । मेरी सेवानिवृत्ति/मृत्यु अथवा अन्य कारणवश सेवा से अलग होने की दशा में बैंक सीधे ही मेरे वेतन कटौती अधिकारी से ऋण राशि का बकाया (ब्याज सहित) मुझे प्रदत्त होने वाली अन्य राशियों जैसे ग्रेच्युटी, लीवएनकेशमेंट, कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन व अन्य देय राशि से प्राप्त करने को अधिकृत होगी जो कि रेलवे प्रशासन मुझे दी जाने वाली राशि में से देने की व्यवस्था करेगा ।
- रेलवे विभाग द्वारा किसी कारणवश किश्तों के न काटे जाने पर मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि बकाया राशि मय ब्याज के नकद जमा करा दूंगा । बैंक को किश्तों की संख्या कम करने अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार होगा और किश्तें जमा न कराने पर बढ़े हुये ब्याज एवं पैन्ल ब्याज के लिये किसी प्रकार के दावे का हकदार नहीं होऊंगा ।

- आवेदक के हस्ताक्षर .....
- आवेदक का नाम .....
- पिता/पति का नाम.....
- पदनाम.....पी.एफ./एन.पी.एस. संख्या.....
- स्टेशन व विभाग .....
- सी.टी.डी. संख्या .....
- घर का स्थाई पता.....
- फोन /मोबाईल .....
- दिनांक .....